



जनपद हमीरपुर

थाना-राठ

दिनांक 20.07.2026

थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 304/2020 धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में।

पुलिस कार्यवाही-

आज दिनांक 20.07.2026 को थाना राठ पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी वारंट के अनुपालन में मु0अ0सं0 1101/20 धारा 138(1)(b) विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त सिब्बू पुत्र सुखराम निवासी अतरौलिया, थाना राठ जनपद हमीरपुर को अतरौलिया से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सिब्बू पुत्र सुखराम निवासी अतरौलिया थाना राठ जनपद हमीरपुर।

पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विष्णु कान्त सिंह
- 2.हे0का0 रावेन्द्र सोनकर

